"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2002—भाद्र 29, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2002

क्रमांक 1533/2002/साप्रवि/1/2/2259.—श्री ए. के. विजयवर्गीय, आय. ए. एस. (1969) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती इंदिरा मिश्रा, आय. ए. एस. (1969) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को पदोन्नत करते हुए अपर मुख्य सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

3. श्री ए. के. विजयवर्गीय तथा श्रीमती इंदिरा मिश्रा द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम 9 के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

3 (ए) में सम्मिलित मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्रमांक 2332/2002/1/2.—श्री शिव कुमार तिवारी, भा. प्र. से. (1993), संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, लोक आयोग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2002

क्रमांक 2338/1626/02/2/एक/लीव.—श्री जी. एस. मिश्रा, उप सचिव, छ. ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस विभाग के आदेश क्रमांक 1841/1470/साप्रवि/02/2/एक, दिनांक 8-7-2002 द्वारा श्री मिश्रा को 28-6-2002 से 12-7-2002 (15 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, इसी अनुक्रम में श्री मिश्रा को दिनांक 13-7-2002 से 3-8-2002 (22 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4-8-2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. आदेश दिनांक 8-7-2002 के अनुसार कालम (2) से (4) तक यथावत रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग (सूचना प्रौद्योगिकी) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2001

विषय :—शासन को वित्तीय भार आए बिना सूचना गुमटियों के माध्यम से नागरिक सुविधाओं के प्रदाय हेतु इलेक्ट्रॉनिकी शासन (ई-गवर्नेन्स) परियोजनाओं में निजी भागीदारी एवं निवेशों के लिए दिशानिर्देश/सिद्धांत और सामान्य शर्तें.

क्रमांक 138/पी. एस./एस.सी.एम./2001/Notif.—राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति में यह प्रावधान है कि हर नागरिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना स्वयं या, जहां आवश्यक हो, सार्वजनिक या निजी मध्यस्थों से प्राप्त करने में सहूलियत महसूस करे. सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली सूचना गुमटियां नागरिकों को आवश्यक विविध सेवाओं तथा जानकारियों को सुगमता से उपलब्ध कराएंगी. इस प्रकृति की इलेक्ट्रॉनिकी शासन (ई-गवर्नेन्स) परियोजनाओं में डाटाबेस तथा जानकारी की विषयवस्तु का विकास, ऐसी सुविधाओं के लिए आवश्यक जानकारियों पर की जा रही प्रक्रिया, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन, प्रयुक्त हार्डवेयर आदि भी सम्मिलित हैं. सूचना गुमटियों के माध्यम से नागरिक सुविधाओं के प्रदाय हेतु इलेक्ट्रॉनिकी शासन परियोजनाएं शासन द्वारा उपयोग की जा रही सूचना प्रबंध प्रणालियों से भिन्न होंगे.

त्वरित नागरिक सुविधायें शीघ्र उपलब्ध कराने तथा राज्य की नीति के प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन एतद्द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी शासन परियोजनाओं में निजी भागीदारी एवं निवेशों के लिए निम्न दिशानिर्देश/सिद्धांत और सामान्य शर्तें विहित करता है—

1. निजी भागीदारी के प्रस्ताव शासकीय कोष पर बिना भार के होंगे.

2. नागरिक सुविधाओं के प्रदाय हेतु इलेक्ट्रॉनिकी शासन परियोजनाएं किसी भी निवेशक को दी गई अनुमति एकाधिकार प्रदान नहीं करेंगी. शासन सभी निवेशकों को अनुमति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा किसी भी निवेशक के पक्ष में परियोजना में निवेश स्तर पर, या बैक-एंड स्तर पर या गुमटी स्तर पर कोई एकाधिकार सृजित नहीं होगा.

3. ई-गवर्नेन्स परियोजना की समयावधि छ: वर्ष की होगी और पांच वर्ष के अंत में इसकी समीक्षा की जायेगी तथा आपसी सहमति और समीक्षा में संतोषप्रद नतीजे के आधार पर ही परियोजना के करारनामे के नवीनीकरण पर विचार किया जायेगा. यदि करारनामे की अवधि के पूर्व परियोजना समाप्त की जाती है तो समस्त हार्डवेयर (सूचना गुमटियों को छोड़) तथा सभी सॉफ्टवेयर और उनमें निहित बौद्धिक सम्पत्ति शासन में वेष्ठित हो जायेंगे जिसके लिये कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा.

4. सूचना गुमटियां का राज्यव्यापी भौगोलिक विस्तार सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निवेशक द्वारा प्रति विकासखण्ड कम से कम 1[illegible] गुमटियां स्थापित करना आवश्यक होगा.

5. राज्य शासन कतिपय स्थानों जैसे शासकीय कार्यालय इत्यादि को सूचना गुमटियों के रूप में विकसित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इन स्थलों पर भी निवेशकों द्वारा वही नागरिक सुविधायें दी जायेंगी जैसा कि अन्य गुमटियों में उपलब्ध होंगी.

6. राज्य शासन को अपनी आंतरिक सूचना एवं जानकारियां तथा गोपनीयता को सुरक्षित रखने के अधिकार होंगे.

7. सूचना गुमटियों में प्रत्येक संव्यवहार राज्य शासन द्वारा विनिश्चित की गई फीस पर आधारित होगा जिसका एक निश्चित प्रतिशत राजस्व अंश निवेशकों द्वारा शासकीय कार्यालयों में प्रमाणीकरण, सत्यापन तथा प्रोसेसिंग के एवज में राज्य शासन को देय होगा.

8. परियोजना राज्य शासन पर बिना किसी वित्तीय व्ययभार के क्रियान्वित की जाएगी एवं हार्डवेयर, साफ्टवेयर, परियोजना के लिए सुसंगत समस्त जानकारी (कंटेंट) का विकास और परियोजना से संबंधित शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण का समस्त व्यय निवेशकों द्वारा वहन किया जाएगा. राज्य शासन उसके कार्यालयों के माध्यम से शासकीय डाटाबेस एवं परियोजना से संगत सूचनाएं निवेशकों को ''जहां है जैसी है'' आधार पर उपलब्ध कराएगा. शासन के वर्तमान डाटाबेसों को संशोधित या पुनरीक्षित करने का राज्य शासन का एकाधिकार रहेगा.

9. राज्य शासन के विभिन्न विभागों और सेक्टरों में वर्तमान में जारी कम्प्यूटरीकरण की विभिन्न गतिविधियां जो बैक-एंड और फ्रंट-एंड पर चल रही है और जो नागरिक सुविधाओं से संबंधित है उन्हें जारी रखा जायेगा. गुमटियों से दी जाने वाली नागरिक सुविधाओं की सेवा दरों में समानता सुनिश्चित की जायेगी.

[illegible] में [illegible] जो [illegible] कार्यालयों में स्थापित की जायेगी के संचालन में राज्य शासन द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को [illegible]

11. परियोजना के उपयोग के लिये निवेशकों द्वारा जहां-जहां ऑप्टिकल फाइबर चैनल बिछाया जायेगा वहां राज्य शासन के उपयोग के लिये नि:शुल्क 2 एमबीपीएस बैण्डविड्थ निवेशकों द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी.

12. निवेशकों द्वारा संवेदनशील जानकारियों को निष्ठा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा जानकारी एवं डाटाबेस के अनधिकृत उपयोग को ट्रैक करने के लिए समुचित सिस्टम ऑडिट की व्यवस्था की जाएगी.

13. राज्य शासन को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह परियोजना के लिये एकत्रित किसी भी जानकारी अथवा निर्मित किसी भी डाटाबेस का उपयोग करे. राज्य शासन परियोजना का उपयोग अपने स्वयं की प्रबंधन सूचना प्रणाली के संचालन में करने के लिये स्वतंत्र होगा. राज्य शासन को अपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली को परियोजना के निवेशकों को अभिन्यस्त करने अथवा परियोजना से असंबद्ध किन्हीं अन्य निवेशकों को अभिन्यस्त करने का अधिकार रहेगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि नागरिक सुविधाओं के लिये प्रस्तावित सूचना गुमटी परियोजना एवं शासन को प्रबंधन सूचना पद्धति दो अलग-अलग व्यवस्थाएं होंगी परन्तु उनके बीच इस प्रकार का तालमेल होना चाहिए जिससे कि बिना एक को प्रभावित किये दूसरे में परिवर्तन यदि आवश्यक हो तो किये जा सकें.

14. गुमटियां उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगी.

15. परियोजना की डिजाइन में निवेशकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तत्समय प्रवृत्त सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं अन्य सभी संगत विधिक प्रावधानों का पालन हो. साथ ही निवेशकों का यह सुनिश्चित करना भी दायित्व होगा कि प्रत्येक ऐसे संव्यवहार जिसमें किसी शासकीय प्राधिकारी व शासकीय अभिलेखों पर प्रमाणीकरण या अनुमोदन आवश्यक हो तो ऐसे प्रमाणीकरण या अनुमोदन उपरान्त ही नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जायें.

16. निवेशकों का यह दायित्व होगा कि परियोजना के लिये एकत्रित की गई किसी भी ऐसी जानकारी का अनाधिकृत प्रसार नहीं किया जाये जिससे राज्य के हितों पर आघात हो. सभी नागरिकों को सूचना गुमटियों से जानकारी और सुविधाएं लेने का समान अधिकार होगा और निवेशकों पर इस अधिकार के संरक्षण का दायित्व होगा. उल्लंघन की दशा में गुमटी संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करना निवेशक के लिये आवश्यक होगा और ऐसा न करने की दशा में राज्य शासन द्वारा समुचित कार्यवाही की जावेगी.

17. राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह सूचना गुमटियों के कार्य के समय के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सके. निवेशकों द्वारा गुमटियों के स्थल के चयन हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी से परामर्श करना आवश्यक होगा.

18. राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह किन्हीं मामलों में गुमटियों द्वारा वितरित की जाने वाली जानकारियों को विनियमित कर सके. तथापि ऐसा विनियमन केवल नकारात्मक सूची के माध्यम से होगा जिसमें केवल वे ही मामले शामिल होंगे जो कानून व्यवस्था अथवा नागरिकों के बीच कटुता फैलाने की दृष्टि से संवेदनशील हों.

19. राज्य शासन निवेशकों को समय-समय पर नागरिक सेवाओं में वृद्धि के लिये निर्देशित कर सकेगा.

20. गुमटी संचालकों और निवेशकों के आपसी वाणिज्यिक संबंध में राज्य शासन हस्तक्षेप नहीं करेगा. तथापि जहां नागरिकों के समानता के अधिकारों का उल्लंघन हो अथवा संवेदनशील मामलों में जानकारियां वितरित की जाने की बात हो तो ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप के अधिकार राज्य शासन में सुरक्षित रहेंगे.

21. परियोजना निवेशकों को राज्य शासन अपने कार्यालयों में उपलब्ध आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिये अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित करेगा. राज्य शासन के ऐसी सूचना प्रदाय करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों और निवेशकों के बीच जानकारी और उसका प्रोसेसिंग इत्यादि से संबंधित कोई संव्यवहार नहीं किये जायेंगे.

22. इस प्रकार की नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये जहां एक से अधिक निवेशकों को शासकीय जानकारियां उपलब्ध कराया जाना हो वहां ऐसे सिद्धान्त शासन तय कर सकेगा जिसके अनुरूप सुगमता से विभिन्न निवेशक बिना किसी प्रतिद्वंद के जानकारियां प्राप्त कर सकें. यथासंभव "प्रथम आओ प्रथम पाओ" सिद्धान्त के आधार पर किसी भी शासकीय कार्यालय से निवेशकों को जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.

23. परियोजना क्रियान्वित करने से पूर्व निवेशक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रस्तुत करेंगे और ऐसे प्रतिवेदन में परियोजना की वायेबिलिटी, नागरिक सुविधाओं की सेवा दरें इत्यादि के प्रस्ताव तथा संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीयता बनाये रखने के तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण दिया जायेगा. परियोजना प्रतिवेदन के अनुमोदन के उपरान्त ही निवेशकों द्वारा परियोजना क्रियान्वित की जा सकेगी. परियोजना क्रियान्वित करने बावत करारनामे में उपरोक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों और शर्तों का यदि उल्लंघन होता है तो राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह अपनी सूचना प्रणालियां, सूचना के स्रोत और शासकीय कार्यालयों में उपलब्ध जानकारी ऐसे निवेशकों को उपलब्ध नहीं कराये. इसी प्रकार शासन को यह भी अधिकार होगा कि उल्लंघन से पूर्व की स्थिति में प्रदत्त सूचना अथवा जानकारियों का उल्लंघन करने वाले किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं करने दें.

24. सूचना गुमटियों के लिये जहां शासकीय भूमि आवश्यक हो और उसके आवंटन बावत राज्य शासन के राजस्व विभाग और वाणिज्य एवं उद्योग (सूचना प्रौद्योगिकी) विभाग और अन्य संबंधित विभाग मिलकर संयुक्त रूप से मापदण्ड तैयार करेंगे.

Raipur, the 30th October 2001

Sub. :—Guidelines/principles and general conditions for allowing private participation and investments in E-Governance projects for the delivery of Citizen Services through information kiosks at no cost to the Government.

No. 138/PS/SCM/01/Noti..—The State Policy on Information Technology provides that every citezen must feel comfortable in accessing information through the use of technology-whether directly or, where essential, through public or private intermediaries. Information kiosks using IT would facilitate convenient access to a variety of services and information required by citizens. The scope of E-Governance projects of this nature would also include development of databases and content, processing of information required for such services, application software design, hardware employed etc. These projects for the delivery of Citizen Services through information kiosks shall be distinct from the Management Information Systems used within the Government.

In order to provide efficient Citizen Services at the earliest and in accordance with the provisions of the State Policy, the State Government hereby prescribes the following guidelines/principles and general conditions for allowing private participation and investments in E-Governance projects for Citizen Services—

1. Proposals for private participation and investments shall be without any burden on the State Exchequer.

2. Projects of E-Governance for Citizen Services shall not be allowed on exclusive basis to any investor. The State Government reserves the right to allow appropriate projects of all investors and there shall not be any exclusive rights created in favour of any investor either at the level of investments in the project. or at the level of the back-end or at the level of kiosks.

3. The duration of E-Governance projects shall be six years, and shall be reviewed at the end of five years. The agreement pertaining to the award of any project shall be renewed only on mutual agreement between the investor(s) and the State Government; and shall be renewable only if the review indicates satisfactory performance. Should the project be closed down before the agreed duration, all the hardware (except the kiosks). and all the software and intellectual properties, thereof shall stand forfeited to the State Government. No compensation shall be payable for the properties and resources thus forfeited.

4. In order to ensure the State-vide geographical spread of information kiosks, every investor shall be required to set up minimum of fifteen (15) such kiosks in every Block (Janpada Panchayat area).

5. The State Government reserves the right to develop certain sites (such as Government offices etc.) as information kiosks, and the investor(s) shall provide the same services to such kiosks as are provided thourgh other information kiosks by the investor.

6. The State Government shall have the right to secure the integrity of information internal to the Government and also those where confidentiality is required to be maintained.

7. All transactions taking place at the information kiosks shall be based on recovery of fee and the fee for Citizen Services at the kiosks to be approved by the Government shall include a percentage share of its revenues which will be payable to the State Government for certification, authentication and processing by its offices.

8. The project shall be executed at no cost to the Government and the entire expenditure in respect of all hardware. development of content relevant to the project, development of application and other software, as well as the costs involved in training employees of the Government concerned with the project shall be born by the investor(s). The State Government. through its offices, shall make databases and information relevant to the project available on an "as is where is basis" to investors. The State Government shall have the exclusive right to decide on amending or revising its existing database(s) in any manner.

9. All current projects of computerisation at the back-end and front-end levels in the different Departments of the State Government and different sectors concerned with Citizen Services shall be continued. It would also be ensured that rates of fee for services are uniform at the kiosks, even if set up by different Departments.

10. The State Government shall provide representation to persons belonging to the weaker sections of the society in operating kiosks set up in Government offices as mentioned in paragraph 5 above.

11. Wherever Optical Fibre Cable channels are laid for use in the project, the investor shall make available band width equivalent to 2 MBPS to the State Government free of any charge.

12. The investors would take steps to ensure the integrity and security of sensitive information, to check against misuse of information and to establish appropriate system audit to track unauthorised use of information and database.

13. The State Government reserves the right to utilise any information collected or database created for the project. The State Government would be free to access the project for use in operating its own Management Information System and shall also have the right to entrust the State Government's Management Information System to the project's investors or to any other investors not concerned with the Citizen Services project. It is also clarified that although the Citizen Services project and the Management Information Systems of the State Government would be distinct systems, yet there should be linkages between the two in such a manner that modifications in one could be carried out without affecting the other adversely.

14. Information kiosks shall deploy appropriate technologies.

15. Every project shall be so designed that the provisions of the Information Technology Act as may be in force, and of all other relevant laws are complied with. In addition, in the case of any transaction where authentication or approval by any Government authority is required on relevant Government records, investors shall be responsible for ensuring that Citizen Services are made available only after such approval or authentication by the prescribed authority.

16. Investors would be responsible for ensuring that there is no unauthorised dissemination of information collected for the purpose of the project, prejudicial to the interests of the State. All Citizens shall have equal rights to access information and obtain services from the Information kiosks and investors shall be responsible for protecting the said rights. Investors are required to take action against kiosk operators violating such rights and the State Governments shall proceed to take suitable action in the event of any failure on the part of the investors.

17. The State Government reserve the rights to issue necessary directions in respect of the timings of the information kiosks. Investors shall also be required to consult Chhattisgarh infotech Promotion Society (CHiPS) for deciding on the location of the kiosks.

18. The State Government shall have the right to regulate, in certain cases, information disseminated through the kiosks. However, such regulation shall be only through a negative list containing only those matters adversely affecting law and order or those sensitive from the standpoint of spreading disaffection among citizens against each other.

19. The State Government may, from time to time, direct investors to extend the range of Citizen Services provided through kiosks.

20. The State Government shall not be a party to the commercial relations between the investors and the kiosk operators. However, the State Government reserves the right to intervene in the event of violation of the rights of equality of Citizens in accessing services and information or when sensitive information affecting law and order is disseminated in violation of directions in that regard.

21. The State Government shall direct its officers and employees to provide information required by the project and available in Government offices. The investors shall not enter into any transactions with Government officers and employees in respect of information provided for the project and for processing thereof.

22. Where more than one investor requires information for providing Citizen Services, the State Government shall lay down the principle to be followed for resolving the conflicting demands for access to information by different investors. Wherever possible, Government offices would make information available to the investors on the principle of "first come first served".

23. Investors are required to submit a Detailed Project Report to the State Government before starting the project and the report should contain analysis of the viability of the project, proposed rates of fee for the different services, and the technical issues relating to ensuring the confidentiality and integrity of sensitive information entrusted to the project. Investors shall start the execution of the project only after the State Government has approved the Detailed Project Report. In the event of any violation of the project agreement by the investor in respect of the foregoing guidelines/principles and general conditions, the State Government shall also have the right to refuse access to its information systems, deny its sources of information and the information available with its offices. Similarly, the State Government shall also have the right to refuse such violators the use of information already collected for the project or in use in the project prior to such violation.

24. The State Government's Revenue Department, Commerce and Industries (IT) Department and other related Departments shall jointly prepare the norms for allotment of any Government land required for locating information kiosks.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2002

क्रमांक 1604/817/02/11/वा. उ.—इण्डियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन मे. बालको केप्टिव पावर प्लांट कोरबा यूनिट क्र. 1 के बायलर क्रमांक एम. पी./3695 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 26-6-2002 से 25-11-2002 तक पांच माह के लिये छूट देता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 एवं 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर की सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलेटर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षण नियम 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, संयुक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2002

क्रमांक 713/म. बा. वि./2002/26-1.—राज्य शासन "मिनी माता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार नियम-2001" में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है.

1. कंडिका-1 (1) में "मिनी माता स्मृति महिला उत्थान पुरस्कार नियम-2001" विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर "मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) नियम-2001" प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. नियम 5 (6) को विलोपित किया जाकर, उसके स्थान पर निम्नानुसार नियम 5 (6) प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"ज्यूरी के सदस्य यदि बाहर से आते हैं तो उन्हें वायुयान द्वारा यात्रा की पात्रता होगी तथा उन्हें शासन द्वारा निर्धारित दरों पर वातानुकूलित वाहन एवं वातानुकूलित आवास की व्यवस्था शासकीय गेस्ट हाऊस या शासकीय गेस्ट हाऊस उपलब्ध न होने की स्थिति में निजी सम्मानजनक होटल में ठहराने की व्यवस्था की जायेगी."

3. नियम 6 (2) को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"नियम 6.2 (1)-"प्रविष्टियां जिला कलेक्टर के समक्ष सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जावेंगी."

(क) महिला/अशासकीय संस्था का पूर्ण परिचय.

(ख) महिलाओं के उत्थान हेतु किये गये मय सेवा कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी. यह प्रमाणपत्र भी संलग्न करना होगा कि उपलब्धियां वास्तविक तथ्यों पर आधारित है.

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण.

(घ) उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की एक एक छायाप्रतियां.

(ङ) महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र-पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की छायाप्रतियां/सत्य प्रतिलिपियां.

(च) अन्य सुसंगत दस्तावेज, जो आवश्यक हों.

(छ) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में महिला/संस्था की लिखित सहमति.

नियम 6.2 (2)-प्रविष्टियों के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अधोनुसार समिति द्वारा परीक्षण कर प्रत्येक जिले से सर्वोत्कृष्ट दो प्रविष्टियां राज्य स्तर पर अनुशंसा कर भेजी जावेंगी.

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
3.	उपसंचालक/सहायक संचालक जनसंपर्क विभाग संबंधित जिला	सदस्य
4.	उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग	सदस्य
5.	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संबंधित जिला.	सदस्य संयोजक

नियम 6.2 (3)-समिति की अनुशंसा के उपरांत जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा प्रत्येक अनुशंसित संस्था/महिला के संबंध में एक संक्षेपिका तैयार कर प्रेषित की जावेगी जो उपरोक्तानुसार कंडिका 2.1 में वर्णित बिन्दुओं को समाहित करेगी.

नियम 6.2 (4)-जिला स्तर से प्राप्त अनुशंसा के उपरांत नियम पांच के अनुसार निर्णायक मंडल द्वारा अंतिम निर्णय लिया जावेगा. यद्यपि ज्यूरी स्वविवेक से प्राप्त प्रकरण या अप्राप्त अन्य किसी भी प्रकरण पर निर्णय ले सकेगी या विचार कर सकेगी.

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने के दिनांक से तत्काल प्रभावशील होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. अग्रवाल, विशेष सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना
मार्गदर्शिका

क्रमांक 559/2002/23/आसां, रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2002

1. **योजना का उद्देश्य :**

जन सामान्य द्वारा स्थानीय आवश्यकता के छोटे-छोटे कार्यों को कराये जाने हेतु शासन से अपेक्षा की जाती है. जनहित के ऐसे लघु कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था हो, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना बनाई गई है.

2. **योजना का स्वरूप :**

2.1 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के जनहित के लघु कार्यों हेतु राज्य शासन के प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन दिये जायेंगे. ऐसे आवेदन जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा.

2.2 पूर्व में विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपूर्ण निर्माण कार्यों को इस योजना के अंतर्गत पूर्ण करने के लिए राशि दी जा सकेगी.

2.3 इस योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए जा सकने वाले लघु कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई है.

3. **योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया :**

3.1 राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे.

3.2 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण किया जायेगा. परीक्षण के उपरान्त जिन कार्यों को प्राधिकृत अधिकारी इस योजना के अंतर्गत लिया जाना उचित समझते हैं उनकी सूची शासन (वित्त एवं योजना विभाग) को भेजेंगे.

3.3 वित्त एवं योजना विभाग प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रस्तावों के परीक्षण उपरान्त सूची तैयार करेंगे तथा मंत्रि-परिषद् के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे.

3.4 कार्यों की सूची अनुमोदन उपरान्त संबंधित कलेक्टरों को भेजी जायेगी.

3.5 कलेक्टर शासन के द्वारा अनुमोदित कार्यों का प्राक्कलन तैयार करेंगे तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी. कलेक्टर कार्यों की अनुमानित लागत हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी करेंगे.

3.6 कार्यों की क्रियान्वयन एजेंसी का निर्धारण कलेक्टर के द्वारा किया जायेगा.

3.7 कलेक्टर के द्वारा दो अथवा तीन किश्तों में कार्यों की प्रगति के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसी को राशि उपलब्ध कराई जायेगी.

4. योजना के लिये वित्तीय व्यवस्था :

4.1 राज्य शासन, कलेक्टर को आवश्यकतानुसार आवंटन उपलब्ध करायेगा. राज्य शासन प्रत्येक जिले को दिये जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा एवं अनुमोदित कार्यों की प्रत्याशा में धनराशि का आवंटन जिलों को दिया जा सकेगा. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का हिसाब कलेक्टर द्वारा पृथक् से रखा जावेगा और इसके लिए जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी उत्तरदायी होंगे.

4.2 योजना के अंतर्गत स्वीकृत/शुरु किये गये सभी कार्यों का सामान्य वित्तीय एवं लेखा परीक्षा प्रभावशील होगा.

5. योजना की मुख्य विशेषताएं :

5.1 इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य पर्यवेक्षण प्रभार से मुक्त रहेंगे. संबंधित निर्माण विभाग एवं क्रियान्वयन एजेंसी को केवल कार्यों की लागत के बराबर ही राशि का आवंटन किया जावेगा.

5.2 इस योजना के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से परिसंपत्ति सृजन स्वरूप के होंगे तथा सामग्री, उपकरण आदि की खरीदी अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं दी जावेगी. योजना के अंतर्गत ऐसे कार्य ही लिये जाएंगे जो एक अथवा दो मौसम में ही पूरे हो सकते हों.

5.3 योजना के अंतर्गत केवल जनहित के कार्यों को ही लिया जायेगा. किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति विशेष के लिए निर्माण कार्य नहीं किए जायेंगे.

5.4 योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य पूर्ण होने पर उसका मूल्यांकन सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जायेगा जो कि उन कार्यों के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होंगे.

5.5 योजना के कार्यों को चिन्हित करने के लिए कार्यस्थल पर बोर्ड अथवा पत्थर लगाया जायेगा जिसमें योजना का नाम, स्वीकृति का वर्ष, कार्यो की अनुमानित लागत, कार्यों की पूर्णता की तिथि का उल्लेख किया जायेगा.

5.6 योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्य का क्रियान्वयन कलेक्टर के द्वारा निर्धारित एजेंसी के द्वारा ही किया जायेगा. यदि क्रियान्वयन एजेंसी के विभाग में विभागीय प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदारों के द्वारा कार्य किया जाना आवश्यक हो तभी ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराया जायेगा.

5.7 जिला कलेक्टर योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का कम से कम 10 प्रतिशत वर्ष में स्वयं निरीक्षण करेंगे. जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन करेंगे.

6. योजना की मानीटरिंग व्यवस्था :

6.1 योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को समयावधि में पूर्ण करने का उत्तरदायित्व संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी/विभाग का होगा. कलेक्टर के द्वारा समय-समय पर कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने हेतु क्रियान्वयन एजेंसी की बैठक ली जावेगी. संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी का जिले के विभागीय अधिकारी द्वारा कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा. जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा स्वीकृत कार्यों के 80 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण किया जायेगा.

6.2 योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का रजिस्टर पृथक् से रखा जायेगा. जिसमें कार्य का नाम विकासखंड/विधानसभा क्षेत्र का नाम, कार्य की अनुमानित लागत, शासन के द्वारा दिये गये अनुमोदन का दिनांक, तकनीकी स्वीकृति का दिनांक, प्रशासकीय स्वीकृति का दिनांक, कार्य पूर्ण होने के दिनांक, मूल्यांकन की राशि, कार्य की प्रणाली, प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक की प्रविष्टि की जावेगी.

6.3 कलेक्टर प्रतिमाह कार्यों की प्रगति के संबंध में पत्रिका (राज्य शासन) वित्त एवं योजना विभाग को भेजेंगे.

6.4 योजना के अंतर्गत जिन कार्यों को लिये जाने की अनुमति नहीं होगी, उसकी सूची परिशिष्ट-2 पर है.

6.5 इस योजना को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई हुई तो उसके लिए राज्य शासन (वित्त एवं योजना विभाग) इस मार्गदर्शिका में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. त्रिवेदी, विशेष सचिव.

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजनान्तर्गत लिये जा सकने वाले कार्यों की सूची

(क) शिक्षा हेतु भवनों का निर्माण.

(ख) गांवों, कस्बों अथवा नगरों के लोगों के लिए नलकूप खोदकर उससे संबंधित अन्य कार्यों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पावर पम्प, पाइप लाइन का डाला जाना. पेयजल व्यवस्था हेतु कुआं निर्माण.

(ग) ग्रामीण सड़कों तथा संपर्क सड़कों का निर्माण तथा शहरी एवं ग्रामीण आवासी क्षेत्र के आंतरिक मार्गों का डामरीकरण.

(घ) संपर्क सड़कों पर रपटों तथा पुलों का निर्माण.

(ङ) वृद्ध एवं विकलांगों के लिए सामुदायिक रैन बसेरों का निर्माण करना.

(च) सांस्कृतिक तथा खेल गतिविधियों के लिए छोटे भवनों का निर्माण करना.

(छ) सरकारी और सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, बागवानी, उद्योगों, बगीचों का निर्माण करना.

(ज) ग्रामीण तालाबों से गाद निकालना.

(झ) ग्रामों में खरंजों वाले मार्गों का निर्माण.

(ञ) सामुदायिक उपयोग एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए सार्वजनिक गोबर गैस संयंत्र, गैर परम्परागत ऊर्जा प्रणालियों/उपादानों का निर्माण.

(ट) जल संवर्धन योजनायें-उद्वहन सिंचाई योजनायें एवं सामूहिक ट्यूबवेल्स का खोदा जाना. सिंचाई बांधों एवं नहरों की मरम्मत, कृषि सिंचाई हेतु नलकूपों की खराब मोटरों की मरम्मत.

(ठ) सार्वजनिक वाचनालय अथवा अध्ययन कक्ष का निर्माण.

(ड) बालवाड़ी तथा आंगनबाड़ियों का निर्माण.

(ढ) परिवार कल्याण उपकेन्द्रों सहित जन स्वास्थ्य भवनों तथा चीरगृहों (Post Mortem) का निर्माण.

(ण) शवदाह गृह/कब्रिस्तानों का निर्माण.

(त) सार्वजनिक शौचालयों तथा स्नानगृहों का निर्माण.

(थ) नालियों और नालों का निर्माण.

(द) पटरी (Foot-Path) पैदल पथ (Path ways) तथा पैदल चलने वालों के लिए पुलों (Foot bridge) का निर्माण.

(ध) शहरी गंदी बस्तियों, कस्बों और गांवों में पानी-रास्तों में सार्वजनिक शौचालयों जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था, गंदी बस्तियों में कारीगरों के लिए सार्वजनिक वर्कशेडों का निर्माण और नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने संबंधी कार्य तथा आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की स्थापना.

(न) सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले लोगों के लिए बस शेडों/स्टापों का निर्माण.

(प) पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र, कांजी हाऊस का निर्माण.

(फ) भूमि संवर्धन कार्य.

(ब) अपूर्ण योजनाओं को पूरा करना.

(म) सामाजिक संगठनों द्वारा भवन/धर्मशाला का निर्माण.

(य) सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु गोदाम/केरोसीन भण्डारण व्यवस्था का निर्माण.

(र) शासकीय भवनों के एक लाख रुपये की वित्तीय सीमा तक मरम्मत संबंधी कार्य.

(ल) चौपाल निर्माण.

परिशिष्ट-2.

विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों को इस योजना के अंतर्गत अनुमति नहीं दी जायेगी

(क) वे कार्य जो जिला योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं.

(ख) कार्यालय भवन, आवासीय भवन तथा अन्य भवन जो केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के विभागों, एजेंसियों अथवा संगठनों से संबंधित हैं.

(ग) व्यावसायिक संगठनों, ट्रस्टों, पंजीकृत सोसायटियों, निजी संस्थाओं, सहायता प्राप्त संस्थाओं अथवा सहकारी संस्थाओं से संबंधित कार्य.

(घ) किसी भी प्रकार के मरम्मत और रख-रखाव का कार्य (शासकीय भवनों के मरम्मत संबंधी कार्य को छोड़कर).

(ङ) अनुदान एवं ऋण.

(च) स्मारक अथवा स्मारक भवन.

(छ) सामग्री की खरीद अथवा किसी भी प्रकार का भण्डार (शिक्षण संस्थाओं के लिए फर्नीचर क्रय की व्यवस्था को छोड़कर)

(ज) भूमि का अधिग्रहण अथवा अर्जित भूमि के लिए मुआवजा.

(झ) व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसंपत्तियां, सिवाय उनके जो अनुमोदित योजनाओं के भाग हैं.

(ञ) धार्मिक कार्यकलापों के लिए स्थान.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2002

क्रमांक एफ-6/19/गृह/2002.--मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 है.

   (2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां, जो छत्तीसगढ़ राज्य के संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक की वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं और इस समस्त विधियों में उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" किये जाएं तथा शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आया हो के स्थान पर शब्द "रायपुर" पढ़ा जावें.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

क्रमांक (1)	विधियों का नाम (2)
1.	भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000 (परिशिष्ट 1, 2, 3 को छोड़कर)

Raipur, the 5th August 2002

No. F-6/19/Home/2002.—In exercise of the powers conferred by the under Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation order 2002.

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the first day of November, 2000.

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended, and subject to the modification that in all the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted and words "Bhopal" wherever they occur the word "Raipur" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, rule, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of Laws (2)
1.	Bhopal Sthith Shaskiya Awas Abantan Niyam, 2000 (Excluding Annexure 1, 2, 3)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, संयुक्त सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 4744/लो. नि./02/19.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 4 के साथ पठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऐसे 20 पुलों को, जो संलग्न परिशिष्ट-क में सूचीबद्ध है, मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग की अधिसूचना क्रमांक जी-23-4-2000-सी-19, दिनांक 27-1-2000 से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन्हीं दरों से पथकर उद्गृहीत करती है और यह घोषित करती है कि छत्तीसगढ़ कार्य मैनुअल भाग-दो में परिशिष्ट 9.26 में विनिर्दिष्ट मानों को उक्त पथकर के भुगतान से छूट दी जाए.

छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में निर्मित पुलों की सूची जिन पर टोल टैक्स लगाना प्रस्तावित है

क्रमांक	पुल का नाम एवं लोकेशन	लागत (लाख रुपये में)
(1)	(2)	(3)
	तेल नदी सेतु	
1.	देवभोग कुम्हड़ई झाखरपारा मार्ग के कि.मी. 3/10	102.25
	पैरी नदी सेतु	
2.	राजिम गरियाबंद देवभोग मार्ग कि.मी. 87/2-6	525.00
	कोल्हान नाला सेतु	
3.	नवागांव-भानसोज मार्ग कि.मी. 10/10	32.00
	सुरंगी नाला सेतु	
4.	सराईपाली-पदमपुर मार्ग कि.मी. 10/4	100.00
	तान्दुला नदी सेतु	
5.	ग्राम भर्रीटोला के पास बोरिया डोडी मार्ग कि.मी. 34/8	42.00
	खूंटी नाला सेतु	
6.	बसना-भंवरपुर मार्ग कि.मी. 9/6	30.00
	पथर्रा नाला सेतु	
7.	नवापारा कुरूद मार्ग कि.मी. 5/2	44.00
	बोरिया नाला सेतु	
8.	वालेंगा-खोरखोसा मार्ग कि.मी. 4/2	40.27
	अरपा सेतु	
9.	रतनपुर बेलगहना मार्ग कि.मी. 29/2	219.25
	सोन सेतु	
10.	भैंसमा सक्ती मार्ग के कि.मी. 30/4	46.78

(1)	(2)	(3)
	माण्ड सेतु	
11.	धरमजयगढ़-गूमनी टिकरा मार्ग कि.मी. 6/2	126.60
	सोनाजोरी सेतु	
12.	तपकरा फरसाबहार मार्ग कि.मी. 8/4	93.00
	आमाटोली सेतु	
13.	बागबहार-कोतवा लैलूंगा मार्ग के कि.मी. 12/2	42.30
	तमता सेतु	
14.	फुलेटा तमता मार्ग के कि.मी. 10/4	69.10
	सोनक्यारी सेतु	
15.	जशपुर-सन्ता मार्ग के कि.मी. 37/10	45.00
	फुलझर सेतु	
16.	(अ) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 18/10	60.00
	महान सेतु	
	(ब) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 23/8-10	122.34
	बांकी सेतु	
	(स) अंबिकापुर प्रतापपुर मार्ग के कि.मी. 40/10	107.07
	बांकी सेतु	
17.	प्रतापपुर-सेमरसोत मार्ग के कि.मी. 23/2	60.30
	मछली सेतु	
18.	दरिमा मेनपाट मार्ग के कि.मी. 7/2	35.00
	माण्ड सेतु	
19.	धरमजयगढ़ कापू मार्ग के कि.मी. 2/4-6	278.28

(1)	(2)	(3)
	शिवनाथ सेतु	
20.	बरतोरी-अमलीडीह मार्ग के कि.मी. 5/6	216.38

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2002

क्रमांक 4744/लो.नि./02/19.—छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं. 8) की धारा 4 के साथ पठित भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 25 सन् 1932) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य में पुलों पर उद्ग्रहित की जाने वाली पथकर की निम्नलिखित दरें अधिरोपित करती हैं—

अनुक्रमांक (1)	वाहनों का विवरण (2)	दिनांक 31-3-2003 तक उद्ग्रहित किए जाने वाले पथकर की दरें (3)
1.	टेम्पो, टेक्सी, मिनी बस, मेटाडोर भरा या खाली, स्टेशन वेगन एवं इसी प्रकार के वाहन.	20.00
2.	निजी कार, जीप, पिकअप	12.00
3.	खाली ट्रक, भरा या खाली बस	30.00
4.	भरा हुआ ट्रक	45.00
5.	मल्टी एक्सल ट्रक, ट्रेलर	60.00
6.	अर्थ मुव्हिंग मशीन (प्रतिटन)	06.00

प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पथकर की दरों में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी जिसके लिए पृथक् आदेश जारी किया जा सकेगा.

ये दरें उन कार्यों को लागू नहीं होगी जिनका सन्निर्माण किया जा रहा है या सरकार की निर्मित तथा स्थानांतरित योजना के अधीन सन्निर्माण किया गया जिसके लिए पूर्व से ही करार निष्पादित किए गए हैं.

किसी मान से पथकर की दरें दिन में केवल एक बार ही उद्ग्रहित की जाएगी जैसे 6.00 ए.एम. से 6.00 ए.एम. तक उक्त समस्त दरें छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी.

परिशिष्ट 9.26

वाहनों की सूची जो शासन द्वारा पुल पार करने पर पथकर अदायगी से मुक्त की गयी है.

भाग I—कार्यपालन यंत्री से स्थायी पास प्राप्त किये बिना—

1. माननीय राज्यपाल एवं माननीय मंत्रीगण के वाहन व परिवहनादि.
2. माननीय विधान सभा अध्यक्ष एवं माननीय विधान सभा उपाध्यक्ष के वाहन व परिवहनादि.
3. सेना के अधिकारीगण के वाहन एवं परिवहनादि जो कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहे हों.
4. मोर्चों पर जाते सैनिकों के साथ वाहन व परिवहनादि.
5. वाहन जो सामरिक प्राधिकरण के आदेशों के अंतर्गत चल रहे हों.
6. कर्त्तव्यरत पुलिस अधिकारीगण के वाहन/ऐसे पुलिस अधिकारीगण या तो—

   (एक) वर्दी में होंगे, अथवा

   (दो) जिला पुलिस अधीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे कर्त्तव्य पर हैं, अथवा

   (तीन) यदि जिला पुलिस अधीक्षक से निम्न पद पर है तो पट्टेदार द्वारा रखे गये पुस्तक में अथवा पद, नाम व तथ्य अंकित करेंगे कि वे कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहे हैं.
7. संभाग के कार्यपालन यंत्री का वाहन, जिसमें पुल अवस्थित है, जब वह कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहे हैं.
8. ग्राम कोटवारी के वाहन व परिवहनादि जो कर्त्तव्य पर हो एवं फौजदारी मामले में साक्षीगण के वाहन जो पुलिस द्वारा चुनौती प्राप्त हुये हों.
9. काश्तकारों के वाहन एवं परिवहनादि जो कृषि में उपयोग में लिये जाते हों जिनके खेत या चरणोई भूमि पुल की दूसरी ओर उनके घरों से 3 कि.मी. के अन्दर पड़ते हों. राजस्व पुस्तिका प्रस्तुत करने पर (भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका).
10. वाहन जो डाक लाने के अनुज्ञप्तिधारी हो.
11. शासकीय क्षुद्र वाहन जैसे कार, जीप, ट्रेक्टर, रोगी वाहक जो कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहें हों.
12. छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा सदस्यों के वाहन एवं सांसदों के वाहन.
13. समस्त वाहन जो कम्पोस्ट खाद परिवहन कर रहें हों.
14. पहचान पत्र धारक अखबारों के संवाददाताओं, पत्रकारों के वाहन.
15. रोगी वाहक एवं अग्निशामकों के वाहनों को तुरन्त निकल जाने दिया जावेगा.

16. ट्रेक्टर ट्राली खाली या कृषि यंत्रों सहित.

भाग II—कार्यपालन यंत्री से स्थायी पास प्राप्त किये हुए—

17. शासकीय सेवकों एवं उनके परिचारकों के वाहन जो कर्त्तव्य पर यात्रा कर रहें हों.

18. वाहन जो एकमात्र स्कूलगामी बच्चों द्वारा प्रयुक्त किया जाता हो जो स्कूल जाने या वहां से लौटने वास्ते काम में लिया जाता हो.

नोट :—वाहन का चालक जिसे पथकर चुकाने से मुक्त किया गया हो अपना नाम, पद एवं कर्त्तव्य की प्रकृति जिसमें वह लगा है को लिखित में दर्ज करेगा यदि वह साक्षर है.

Raipur, the 2nd September 2002

No. 4744/PWD/02/19.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 read with Section 4 of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh the State Government hereby levies Toll Tax on 20 bridges enlisted in Appendix A appended herewith, at the same rates specified in the Schedule appended to the then Government of Madhya Pradesh, P. W. D. Notification No. G-23-4-2000-C-19 dated 27-1-2000 and declares that the vehicles specified is the appendix 9.26 of Madhya Pradesh work department Manual Volume II shall be exempted from the payment of the said tolls.

These orders shall come into force from the date of this Notification.

LIST OF THE BRIDGES CONSTRUCTED IN CHHATTISGARH STATE ON WHICH TOLL TAX IS PROPOSED

S. No. (1)	Name of bridge and road (2)	Cost in lakhs (3)	Remarks (4)
1.	TEL RIVER BRIDGE		
	In Km. 3/10 of Deobhog Kumhadai Jhakharpara Road	102.25	
2.	PARRY RIVER BRIDGE		
	In Km. 87/2-6 of Rajim Gariaband Deobhog Road	525.00	
3.	KOLHAN NALLA BRIDGE		
	In Km. 10/10 of Nawagaon Bhansod Road	32.00	
4.	SURANGI NALLAH BRIDGE		
	In Km. 10/4 of Saraipali Padampur Road	100.00	
5.	TANDULA RIVER BRIDGE		
	In Km. 34/8 near Village Bharritola of Boria Dhondi Road	42.00	

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	KHSTI NALLA BRIDGE		
	In Km. 9/6 of Basna Bhawarpur Road	30.00	
7.	PATHARRA NALLA BRIDGE		
	In Km. 5/2 of Nawapara Kurud Road	44.00	
8.	BORIA NALLA BRIDGE		
	In Km. 4/2 of Balenga Khorkhosa Road	40.27	
9.	ARPA BRIDGE		
	In Km. 29/2 of Ratanpur Belgahna Road	219.25	
10.	SON BRIDGE		
	In Km. 30/4 of Bhaisma Sakti Road	46.78	
11.	MAND BRIDGE		
	In Km. 6/2 of Dharamjaygarh Amni Tikra Road	126.60	
12.	SONAJORI BRIDGE		
	In Km. 8/4 of Tapkara Pharsabahar Road	93.00	
13.	AMATOLI BRIDGE		
	In Km. 12/2 of Bagbahar Kotwa Lailunga Road	42.30	
14.	SAMTA BRIDGE		
	In Km. 10/4 of Phuleta Tamta Road	69.10	
15.	SONKAYARI BRIDGE		
	In Km. 37/10 of Jashpur Samta Road	45.00	
16.	PHULJHAR BRIDGE		
	A. In Km. 18/10 of Ambikapur Pratappur Road	60.00	
	B. MAHAN BRIDGE		
	In Km. 23/8-10 of Ambikapur Pratappur Road	122.34	
	C. BANKI BRIDGE		
	In Km. 40/10 of Ambikapur Pratappur Road	107.07	

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	BANKI BRIDGE		
	In Km. 23/2 of Pratappur Semarsot Road	60.30	
18.	MACHHALI BRIDGE		
	In Km. 7/2 of Darima Menpat Road	35.00	
19.	MAND BRIDGE		
	In Km. 2/4-6 of Dharamjaygarh Kapu Road	278.28	
20.	SEONATH BRIDGE		
	In Km. 5/6 of Bartori Amlidih Road	216.38	

Raipur, the 2nd September 2002

No. 4744/PWD/02/19.—In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Indian Tolls Act (Chhattisgarh Amendment) Act, 1932 read with Section 4 in its application to the State of Chhattisgarh of the Tolls Act, 1851 (No. VIII of 1851), the State Government hereby impose the following rates of tolls to be levied on bridges in the State.

S. No. (1)	Description of Vehicles (2)	Rates of tolls to be levied upto 31-3-2003 (3)
1.	Tempo, Taxi, Mini Bus, Matador loaded or empty Station wagon or equivalent vehicle.	20.00
2.	Private Car, Jeep, Pickup	12.00
3.	Empty Truck, Loaded Bus and Empty Bus	30.00
4.	Loaded Truck	45.00
5.	Multi Axle Truck, Traller	60.00
6.	Earth Moving Mechinery (per tonne)	06.00

The rates of toll will be increased by 25% after every three years for which separate orders will be issued.

These rates shall not be applicable on those works which are being constructed or shall be constructed under Build Operate and Transfer Scheme of the Government, for which agreements have already been executed.

The toll rates will be levied only once in a day i.e. from 6.00 AM to 6.00 AM from any vehicle. The above all rates shall come into force from the date of its publication in the Chhattisgarh Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. चौदहा, अवर सचिव

APPENDIX 9.26

LIST OF VEHICLES EXEMPTED BY THE STATE GOVERNMENT FROM PAYMENT OF TOLLS WHEN CROSSING AT TOLL BRIDGES

Part-I-Without a permanent pass from the Executive Engineer—

(1) Conveyances and Vehicles of Hon'ble Governor and Hon'ble Ministers.

(2) Conveyances and vehicles of the Hon'ble Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly.

(3) Conveyances and vehicles of Military Officer travelling on duty.

(4) Conveyances and vehicles accompanying troops on the match.

(5) Vehicles moving under the orders of military authorities.

(6) Vehicles of Police Officers on duty : Such Police Officers shall either—

(i) be in uniform, or

(ii) produce a certificate signed by the District Superintendent of Police that they are on duty, or

(iii) if of a rank not low, than a District Superintendent of Police, enter in a book kept by the lessee. their rank names and the fact that they are travelling on duty.

(7) The conveyance of the Executive Engineer of the Division in which the bridge is situated while travelling on duty.

(8) The conveyances and vehicles of village kotwar on duty, and of witnesses in criminal cases challaned by Police.

(9) Convēyances and vehicles of cultivators used for agricultural purpose whose fields or pasture grounds lie-within-a distance of 3 km. from the opposite side of the bridge to their home on production of Revenue Book (Bhoo Adhikar and Rin Pustica).

(10) Vehicles license to carry mails.

(11) **Small** vehicles (like car, jeep, tractor and ambulance) of the State Government travelling on duty.

(12) **Vehicles** of the Members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh and Members of Parliament.

(13) All vehicles transporting compost mannure.

(14) Vehicles of accredited press correspondents possessing identity card.

(15) Ambulance and vehicles of Fire Brigade would be allowed to pass through immediately.

(16) Tractor Trolly (empty or with agricultural machinery).

Part-II-With permanent pass from the Executive Engineer.

(17) Vehicles of Govt. servants and their attendants travelling on duty.

(18) Vehicles exclusively used for school-going children. when going to schools or return therefrom with their vehicles.

Note :—The driver of the vehicle exempted from payment of tolls, shall state his name, rank and the nature of the duty on which he is engaged and shall. if literate, do so in writing.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 31 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक-एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चन्द्रशेखरपुर (एडू), प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.793 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	147/1	0.096
	133/1	0.029
	147/2	0.096
	133/2	0.029
	138	0.012
	132	0.049
	137/2	0.048
	137/1 क	0.048
	156/1	0.140
	135/1 क	0.039
	135/1 ख	0.020
	135/1 ग	0.024
	131	0.042
	130	0.040
	129	0.049
	128/2	0.032
योग	16	0.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खंदापाली जलाशय हेतु भू-अर्जन बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 11 जून 2002

प्र. क्र. 4 अ/82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-खैरबनाकला, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.26 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	355/4	0.26
योग	1	0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सरोदा जलाशय

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2002

क्रमांक 1 अ-02-2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-घुठेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.541 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	18	0.081
	19	0.518
	20/1	
	20/3	0.065
	20/2	0.073
	21	0.332
	22	0.490
	23	0.227
	24	0.158
	27	0.186
	28/1	0.346
	31/1	0.363
	32	0.243
	33	0.522
	38/1	0.405
	38/2	0.178
	28/2	0.354
योग	16	4.541

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भरवा जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक 1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मुरमुर, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.132 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1/2	0.267
	23/1 ग	0.364
	23/11	0.081
	46	0.040
	47	0.380
	2	0.420
योग	5	1.132

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—घाघरा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

क्रमांक 26 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-पुटा, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.014 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
242	0.336
246/3	0.040
303	0.316
291/3	0.154
298	0.134
302	0.567
309/2	0.809
310/2	0.121
311/2	0.202
288	0.910
289/3	0.202
304	0.376
291/1	0.223
305	0.121
307	0.287
247/3	0.397
248/1	0.348
291/4	0.117
296	0.938
248/2	0.344
244/1	0.728
245/1	
246/4	0.081
251/3	
246/2	0.105
295	0.348
244/2	0.595
245/2	0.166
247/1	0.255
306/2	0.243
292/1	0.368
293/1	0.024
292/2	0.182
293/2	0.016
291/5	0.121
247/2	0.360
294	0.308
291/2	0.117
253	0.093
301	0.688
306/1	0.696
308	0.214
309/1	0.138
310/1	0.081
311/1	0.105
312	0.040
योग 46	13.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पुटा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/6106.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.75 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
182	0.40
186/2	0.10
260/2	0.25
267	0.36
274/2	0.20
277/3	0.11
341/1	0.12
451	0.10
417/1	0.37
421	0.23
425	0.33
420/3	0.17
185/1	2.00
187/1	0.07
419/9	0.10
268/1	0.30
274/1	0.24
280	0.30
342/2	0.61
408/2	0.31
417/2	0.35
420/1	0.13
426	0.22
183	0.11
187/2	0.24
261	0.15
269	0.13
276	0.40
281	0.38
407	0.42
409	0.22
419/8	0.10
422/3	0.23
427/3	0.25
186/1	0.39
419/11	0.16
264	0.30
454/1	0.15
277/4	0.10
340	0.60
423	0.08
411	0.34
419/10	0.10
424	0.07
450/3	0.46
योग	12.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टेकापार जलाशय के अंतर्गत बांध पार डूबान क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/6107.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-टेकापार, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.08 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
109/1	0.17
169	0.06
194/1	0.57
291/2	0.03
168/1	0.04
194/18	0.48
194/1	0.20
298/3	1.85
109/2	0.16
194/22	0.06
194/23	0.41
290/2	0.60
110	0.05
194/19	0.16
283/3	1.12
292	0.12
योग	6.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टेकापार जलाशय के अंतर्गत बांध पार डूबान क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/6108.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पिपलाकछार, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
599	0.33
569	0.67
364/1	0.08
848	0.11
487/2	0.09
484/2	0.15
477	0.21
175/5	0.05
166/1	0.05
170	0.09
172	0.13
853	0.05
852	0.11
488/3	0.08
487/4	0.09
483	0.15
362/1	0.09
175/2	0.05
166/2	0.05
589	0.55
588	0.18
488/1	0.08
851	0.07
364/1	0.15

(1)	(2)
484/1	0.07
438/11	0.43
365/1 365/2	0.11
164	0.13
168	0.06
587	0.18
488/2	0.09
850	0.05
489/1	0.06
484/3	0.13
482	0.07
368/1	0.05
165/1	0.11
169/4	0.06
योग	5.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पिपलाकछार जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर एवं लघु नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/6109.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-कुम्ही, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.88 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
94	0.11
54/2	0.09
56/2	0.02
65/3	0.06
61	0.11
64/3	0.09
71/8	0.17
33	0.10
136	0.27
140/1	0.06
93	0.13
54/3	0.13
52	0.06
65/5	0.05
64/1	0.10
69	0.06
71/9	0.08
32	0.18
137	0.01
53/1	0.09
92	0.18
57	0.18
65/2	0.05
64/2	0.09
68/1	0.04
74/1	0.10
12	0.16
139	0.13
53/2	0.09
56/1	0.02
65/1	0.06
65/4	0.05
140/2	0.06
71/7	0.10
73	0.11

103	0.37
113/19	0.12
योग	3.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पिपलाकछार जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर एवं लघु नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/6110.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-गर्रापार, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.63 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
492	0.07
590/1	0.67
473	0.22
631	0.09
688/4	0.08
529	0.23
632	0.19
590/2	1.15
628	0.09
687	0.48
533/1 + 2	0.16
539	0.14
624	0.15
630	0.09
685/2	0.45
538	0.06
541	0.03
627	0.02
690	0.26
योग	4.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गर्रापार व्यपवर्तन के अंतर्गत बांध डूबान क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/6111.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-खैरागढ़

(ग) नगर/ग्राम-मरकामटोला, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.64 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
400	0.44
401	6.38
483	3.50
397	5.50
408	0.74
391/4	0.08
योग 6	16.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—तीन पुलिया जलाशय के बांध पार/डूबान क्षेत्र में अर्जन किया जाना है.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 25 जुलाई 2002

क्रमांक भू-अर्जन/2002/6112.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-विचारपुर, प. ह. नं. 58/11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 17.54 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
532/2	0.06
532/3	0.26
801/1	0.09
532/5	0.04
801/6	0.02
535/11	0.06
535/15	0.05
535/5	0.22
535/12	0.38
726	0.68
727	0.17
762/4	0.14
777/3	0.08
646/5	0.03
535/7	0.18
535/9	0.28
535/8	0.25
535/10	0.18
535/13	0.22
600	0.43
601	0.70
649	0.14
602/1	0.49
602/3	0.30
625	0.11
762/1	0.12
762/3	0.12
776	0.18
602/2	0.11
603	0.50
604/1	0.11
604/2	0.11
404	2.05
595	0.22
592	0.21
403	0.65
593	0.09
624	0.61
635	1.05
633	0.02
634	0.02
636	0.38
728	0.18
730/2	0.17
731/3	0.16
731/1	0.36
731/2	0.55
801/4	0.04
761/1	0.31
778/2	0.61
779	0.14
780/2	0.34
781	0.12
800/2	0.08
798	0.95
405/3	0.05
637/3	0.01
637/5	0.13
777/4	0.08
637/4	0.09

(1)	(2)
805/1	0.30
799/11	0.06
योग 65	17.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सेम्हरा जलाशय के उलट नाली एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6692/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सहसपुर, प. ह. नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 77.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
443	0.60
444	0.40
522	0.78
445	0.20
447	1.00
533	2.63
448	2.00
471	0.18
472	0.07
474	0.66
499/1	2.50
475	0.48
493	2.24
476	0.49
478	0.11
479	0.09
491	1.39
492	3.16
477	0.49
490	0.31
482	4.18
483	3.13
557	0.01
526/1	0.05
553/4	0.40
553/6	0.85
509/1	0.15
547	2.88
566	0.06
518	1.09
546	1.06
562	0.65
564	3.49
519	1.47
524	1.40
534	4.22
559	1.03
521/1	8.79
521/2	1.50
525/2	0.13
526/2	0.20
526/3	0.15
553/5	1.20
526/4	0.31
553/7	0.79
530	0.95
531	0.50
537	0.40
540	0.70
532	1.05
535	0.30
536	0.50
542	1.03

(1)	(2)
545	3.43
548	1.16
550	1.20
553/3	1.49
558	0.79
560	0.92
561/1	0.73
561/2	1.00
560	1.20
494	1.00
553/8	0.05
556	0.15
योग 65	77.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पुरैना जलाशय के बांध एवं डूबान क्षेत्र के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6693/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-गोपालपुर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
612/3	0.05
617/1	0.08
617/2	0.08
618	0.07
621	0.07
622	0.12
623	0.05
योग 7	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रूसे जलाशय के अंतर्गत नहर नाली हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी. राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता हैं.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2002

क्रमांक 6694/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भदेरा नवागांव, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.65 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
73/3	0.03
129/1	0.14

(1)	(2)
129/3	0.14
129/4	0.13
129/5	0.21
128	0.58
143/3	0.41
143/4	0.03
144/1	0.18
188/2	0.06
159/1	0.18
160	0.06
161	0.08
165	0.06
167	0.06
169/1	0.08
168	0.03
171/2	0.01
189	0.06
188/1	0.09
187/6	0.06
187/2	0.18
176/1	0.12
176/2	0.04
450/1	0.18
458/1	0.10
459	0.10
127	0.24
144/3	0.01
योग 29	3.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदेरा नवागांव उद्वहन सिंचाई योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 अगस्त 2002

क्रमांक 9767/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-ढाबा, प. ह. नं.1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.31 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
3/2	0.80
3/3	0.03
5	0.50
6	0.04
7	0.22
8	0.08
73/1	0.14
73/3	0.48
89	1.02
योग 9	3.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमलीडीह जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 अगस्त 2002

क्रमांक 9768/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भरकाटोला, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 34.20 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
352	1.30
353	5.78
349	2.80
355	1.10
348/2	5.00
344	0.40
347/2	0.56
347/1	0.71
347/4	0.59
376/1	0.34
347/3	0.75
346	2.50
379	2.50
380	0.76
359	6.14
376/2	0.35
356	0.76
357	0.30
361	0.26
360	0.27
363/3	0.24
363/2	0.10
364	0.35
365/1	0.22
366/2	0.12
योग 25	34.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमलीडीह जलाशय के डूबान क्षेत्र में अर्जित किए जाने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 अगस्त 2002

क्रमांक 9769/भू- अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-अमलीडीह , प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 24.83 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
209/1	0.35
197/5	0.28
197/1	0.39
197/3	0.19
209/2	0.10
197/4	0.12
197/6	0.53
197/2	0.30
206/1	0.25
200/2	0.46
271/6	0.13
206/2	0.20
200/3	0.51
271/5	0.23
206/3	0.05
203/1	0.07
206/2	0.02
269/2	0.21
203/1	0.24
220/1	0.34
230/2	0.27
202/2	0.51
202/3	0.24
267/2	0.17
201/2	1.00
220/3	0.03
199	1.50
224	0.03
198	2.23
186	3.68
187/1	0.09
187/2	0.10

(1)	(2)
187/3	0.21
187/4	0.11
188	0.28
194	0.29
196	0.34
220/2	0.34
189/1	0.70
189/2	0.70
190/1	0.65
190/2	0.13
190/3	0.22
232/2	0.02
191	0.61
195	0.22
219	0.22
192	1.30
200/1	0.61
229	0.19
232/1	0.19
234	0.43
274/4	0.03
266	0.23
267/1	0.17
281	0.13
268/1	0.22
201/1	1.11
268/2	0.22
270	0.14
योग 60	24.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमलीडीह जलाशय के अंतर्गत बांधपार, डूबान एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 अगस्त 2002

क्रमांक 9770/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-राजनांदगांव
(ग) नगर/ग्राम-कौहाकुड़ा , प. ह. नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 14.88 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
31	0.56
40	0.20
104	0.11
4/1	0.46
41	0.01
44/1	0.42
48	0.22
42	0.20
44/2	0.08
4/2	0.46
23/1	0.38
5/1	0.41
23/2	0.38
5/2	0.51
45	0.11
21	0.29
6	0.92
18	0.50
9/1	0.24
25	0.04
99	0.38
92	0.28
121	0.30
9/2	0.23
10	1.34
8	0.30
20	0.12
51	0.14
7/1	0.15
7/2	0.15
19/2	0.06
11	0.74

(1)	(2)
19/1	0.05
24	1.00
50	0.08
49	0.60
98/1	0.23
107	0.48
105/1	0.04
103	0.18
102	0.03
94/1	0.09
119	0.20
141	0.09
140	0.15
142	0.08
144	0.35
145	0.21
172	0.22
239	0.11
योग 50	14.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमलीडीह जलाशय के अंतर्गत बांधपार, डूबान एवं नहर नाली में अर्जित किए जाने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जशपुर
(ख) तहसील-कुनकुरी
(ग) नगर/ग्राम-मयाली
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 63.794 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
37	0.692
40/1	0.810
40/4	0.664
41/2	0.526
124/2	0.028
41/1	1.356
99/6	2.024
46	0.692
60	1.093
102	0.571
106	0.085
59	0.377
68/1	0.283
104	0.243
57/3	0.121
62	1.543
68/2	0.344
331/5	0.202
332/2	2.579
71	0.130
108	0.211
79	1.097
39	0.036
40/2	0.489
40/5	0.405
42/2	0.465
40/7	0.810
90	0.461
53	0.044
57/1	0.141
54	0.271
54/1	0.166

(1)	(2)	(1)	(2)
123/2	0.057	335	0.275
76	0.121	69	0.518
103	1.073	128/7	0.166
57/2	0.429	333	1.222
57/4	0.121	338	
78	0.522	332/4	0.405
60	1.068	357/18	0.158
336	2.814	334/3	0.393
337	0.713	339/2	0.324
77	0.194	360	0.389
110	0.971	84/1	0.056
85/2	0.024	81	0.223
38/6	0.943	86	0.016
101/3	0.648	88/3	0.044
40/6	0.810	99/4	0.729
99/8	0.405	100	0.218
40/8	0.522	106/3	1.214
42/1	0.810	112/3	0.202
43	0.652	120	0.360
58	0.081	330	0.178
45	0.688	128/6	0.069
105	0.089	329	1.797
54/2	0.060	331/3	1.214
55	0.462	357/4	0.931
56	0.387	334/2	0.202
89	0.392	332/5	0.522
61	0.174	334/4	0.202
123/1	0.259	341/2	0.162
99/2	1.376	355	0.312
101/2		84/3	0.247
339/3	0.891	84/2	0.057
341/3		342	0.878
111	0.223	359	0.170
98	1.316	99/5	0.170
80	1.056	112/4	2.024
85/1	0.024	109/2	0.424
97	0.134	113	0.227
343	1.235	121	0.044
99/7	0.405	124/1	0.486
106/2	0.607	344/3	0.291
112/2		331/2	1.765
114	0.243	332/2	
		358/2	0.304

(1)	(2)
344/2	0.202
357/10	0.279
339/1	1.085
340	0.570
357/1	0.316
योग 116	63.794

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बलजोरा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु .

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-खड़सा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/2	1.296
38/2	2.024
89/1	0.457
39/2	0.068
39/1	0.741
40/1 ख	1.376
44/2	0.190
92	0.482
1/13	0.202
44/3	0.417
40/3	2.474
1/13	0.308
39/3	0.405
40/1 घ	0.245
89/2	0.194
37	0.854
40/2	1.190
40/1 च	1.312
42/3 क	0.405
39/4	0.405
42/2	1.753
44/4	0.170
योग 22	16.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बलजोरा जलाशय योजना के मुख्य बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु .

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-खड़सा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/3	0.093
1/13	0.369
1/7	0.113
3	0.555
1/10	0.182
2	0.287
योग 6	1.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बलजोरा जलाशय योजना के स्पील चैनल हेतु .

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जशपुर
 (ख) तहसील-कुनकुरी
 (ग) नगर/ग्राम-खड़सा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.886 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.219
132/3 ग	0.170
34/3	0.109
28/1	0.069
28/2	0.036
34/2	0.182
31	0.101
योग 7	0.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बलजोरा जलाशय योजना के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जशपुर
 (ख) तहसील-कुनकुरी
 (ग) नगर/ग्राम-कोटिया
 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.352 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
506/8	0.097
519/2	0.032
518/2	0.129
529/1	0.053
529/2	0.049
योग 5	0.352

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लोवर डोड़की व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 227 से 238 तक निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-तपकरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.705 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
70/13	0.129
68	0.169
80/1	0.113
59/2	0.226
50/1	0.245
33	0.335
81	0.057
64/2	0.185
79/1	0.105
58	0.145
41/1	0.121
32	0.177
69	0.189
79/2	0.214
63/3	0.077
56	0.169
50/2	0.012
40	0.037
योग 18	2.705

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उतियाल व्यपवर्तन योजना के चैन क्र. 13 से 69 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान), अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 7/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-साजबहार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.820 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
455	0.162
470	0.040
469	0.040
467	0.417
468	0.068
478	0.093
योग 6	0.820

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उतियाल व्यपवर्तन योजना के चैन क्र. 90 से 121 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-बाम्हनमारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.743 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
387/1	0.093
421/2	0.073
429/5	0.065
412/2	0.032
403/3	0.150
402/2	0.162
192	0.049
181/8	0.020
389/1	0.150
418	0.040
429/4	0.024
412/1	0.049
403/2	0.024
263	0.093
273	0.121
188	0.012
420	0.113
422	0.068
413	0.045
435	0.056
403/1	0.024
264	0.154
191/2	0.126
योग 23	1.743

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—उतियाल व्यपवर्तन योजना के चैन क्र. 121 से 179 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-अंकिरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.396 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
188/1	0.032
200	0.113
381/5	0.032
407	0.129

(1)	(2)
400	0.020
381/4	0.194
428/6	0.085
428/3	0.154
467/2	0.049
198/2	0.020
202/7	0.036
346	0.024
367	0.049
401	0.045
404	0.053
465/3	0.040
528/5	0.024
467/3	0.024
202/6	0.024
381/2	0.089
362/2	0.036
399	0.040
432/2	0.032
428/2	0.024
428/4	0.020
465/1	0.008
योग 26	1.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अंकिरा जलाशय योजना के चैन क्र. 0 से 60 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-कुनकुरी

(ग) नगर/ग्राम-केराडीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.066 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
238	0.202
242	0.053
243	0.032
246/1	0.162
296	0.036
269/2	0.154
356	0.154
262/6	0.170
284/1	0.303
293	0.057
353	0.121
357	0.048
611	0.044
614/4	0.040
239	0.065
295	0.028
244	0.101
247/1	0.085
247/2	0.077
255/2	0.061
262/3	0.008
262/7	0.316
297	0.162
294	0.121
355	0.008
358	0.020
614/2	0.113
240	0.077
300	0.032
248	0.413
287/1	0.057
287/2	0.361
256	0.048
262/5	0.024

(1)	(2)
271	0.008
286/1	0.024
299	0.125
615	0.032
610	0.113
614/3	0.012
योग 40	4.066

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—तुम्बाजोर व्यपवर्तन योजना की चैन क्र. 103 से 165 तथा 191 से 202 तक के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-डुमरटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
10	0.065
174/3	0.032
11/3	0.065
114	0.028
173	0.174
20	0.324
37	0.138
52/2	0.235
62	0.150
69/2	0.012
125/11	0.506
201	0.202
210	0.125
221	0.405
222/4	0.133
222/34	0.291
125/13	0.101
11/1	0.012
11/2	0.016
48/3	0.182
35	0.085
19	0.081
34	0.065
39	0.040
125/6	0.024
68	0.437
125/4	0.457
175	0.129
171	0.129
217	0.113
125/3	0.040
222/32	0.032
222/35	0.231
222/39	0.259
48/2	0.146
48/1	0.040
168	0.008
38	0.065
49	0.044
218	0.210
40	0.134
61	0.061
69/1	0.324
125/7	0.081
194	0.441
170	0.012
193	0.032
52/1	0.004

(1)	(2)
222/33	0.214
225/13	0.101
125/13 ई	0.048
योग 51	7.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—तुम्बाजोर व्यपवर्तन योजना की चैन क्र. 0 से 103 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जशपुर
 (ख) तहसील-कुनकुरी
 (ग) नगर/ग्राम-बोतनीडांड़
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.239 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105	0.016
145/1	0.214
161	0.065
169/2	0.016
173/1	0.040
176	0.017
184	0.048
106	0.105
145/2	0.144
162/1	0.040
169/4	0.129
163/4	0.016
180	0.028
107	0.036
160	0.024
163	0.101
172	0.053
174	0.109
183	0.044
योग 19	1.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—तुम्बाजोर व्यपवर्तन के योजना, बोतनीडांड़ माइनर नहर चैन क्र. 0 से 59 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002.

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जशपुर
 (ख) तहसील-कुनकुरी
 (ग) नगर/ग्राम-केराडीह
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.371 हेक्टेयर

खसरा नंम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
520/1	0.368

(1)	(2)
491	0.012
521	0.006
492	0.048
519 / 520	0.275
496/2	0.036
योग 6	0.371

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ईब नहर विस्तार योजना केराडीह शाखा नहर चैन क्र. 0 से 18 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकताहै.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-खरवाटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.905 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
280/1	0.299
283	0.579
246/1	0.231
252	0.221
244	0.089
234	0.271
251/1	0.393
245	0.299
318/1	0.623
योग 9	2.905

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ईब नहर विस्तार योजना चैन क्र. 461 से 501 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-लोधमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.770 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
370	0.045
369/2	0.081
369/1	0.534
योग 3	0.770

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ईब नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर चैन क्र. 59.5 से 605 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक

एक 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-भूईटांगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.777 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	87/1	0.194
	75	0.165
	89	0.089
	94	0.089
	99	0.243
योग	5	0.777

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ईब नहर विस्तार योजना के चैन क्र. 576 से 590 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकताहै.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-नावापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.174 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	314	0.008
	317	0.267
	332/13	0.073
	321/1	0.097
	332/10	0.073
	315	0.036
	313/3	0.166
	332/2	0.089
	332/5	0.024
	316	0.150
	321	0.040
	339/2	0.117
	332/6	0.032
योग	13	1.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ईब विस्तार योजना के बनडीपा शाखा नहर के चैन क्र. 0 से 30 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 19 जुलाई 2002

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-कुनकुरी
- (ग) नगर/ग्राम-खरवाटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.031 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
315	0.008
246/4	0.064
262/1	0.056
263	0.028
267	0.024
259	0.036
273	0.109
274/3	0.081
314	0.064
246/2	0.056
262/2	0.028
265	0.020
268	0.056
271	0.012
274/1	0.109
246/3	0.008
248/1	0.036
261	0.056
266	0.052
269	0.064
272	0.012
274/2	0.052
योग 22	1.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ईब विस्तार नहर योजना के खरवाटोली माइनर चैन क्र. 0 से 27 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शा, (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुनकुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 241/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम- सिलादेही, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.084 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
339/1	0.004
1145	0.024
1572/2	0.040
1764	0.061
1765/2	0.036
343/1	0.117
150	0.020
170	0.077
171	
1469	0.069
1470	0.012
344/1	0.032
344/3	
1606/2	0.069
1253/1	0.012
335	0.004
336	0.113
352	0.117
355	0.045
430/4	0.028
172	0.053

(1)	(2)	(1)	(2)
202	0.032	213	0.032
354/2	0.049	201	0.036
354/1 क	0.053	203	0.049
1617/2	0.004	204	0.061
15	0.032	1227	0.081
359	0.040	190	0.045
360	0.061	192	0.008
361/2	0.036	1251/3	0.012
361/1	0.024	189/3	0.040
815/1	0.004	45/2 क	0.032
365	0.049	45/2 ख	
366	0.077	188/1	0.073
297/1 ख	0.093	1436	0.057
297/2		188/2	0.008
1471	0.008	175/2	0.045
1472	0.008	175/4	0.053
1473	0.008	1432/2	0.004
293	0.134	174	0.024
377	0.138	49	0.020
294/1	0.008	2569/2	0.020
294/2	0.061	91/2	0.061
1495/1	0.040	168/1	0.008
294/3	0.028	168/2	0.040
280	0.004	168/3	0.077
282	0.093	151	0.085
281	0.057	160/1	0.020
283/1	0.032	160/2	0.020
284/2	0.004	158	0.020
285/1		156	0.109
286/1	0.004	1646	0.057
286/2	0.057	2555/2	0.016
287	0.008	1648/1	0.045
430/3	0.053	1648/2	0.045
430/1	0.032	1649/1	0.077
430/5	0.069	1649/2	0.008
430/6	0.061	1497	0.012
432/1	0.053	1637	0.008
216	0.036	1435	0.065
217		1652	0.113
214/1	0.004	1653	0.020
2530	0.101	1655	0.028
212	0.053	1656/1	0.024
214/2	0.057	1761/1	0.020

(1)	(2)
1654/1	0.040
1654/2	0.121
1656/3	0.004
1657/2	0.073
1617/1	0.032
1240/1	0.028
1618	0.008
1620/1	0.020
1619	0.069
1622/1	0.053
2418/1	0.049
1622/2	0.012
1607/2	0.008
1418/2	0.117
1615	0.069
1614/2	0.008
1611/1	0.004
1613/1	0.024
1613/2	0.024
1610	0.024
1611/2	0.036
1437/1	0.045
1437/2	0.028
1606/1	0.028
1606/4	0.020
1604	0.134
1572/1	0.040
1445/1	0.016
2528/1	0.008
2557/1	0.012
1572/3	0.004
1573/1	0.004
1494	0.081
1496/1	0.008
1427	0.004
813	0.198
1772	0.004
1428	0.016
1773	0.065
1429	0.053
1431/1	0.008
1432/1	0.008
1432/3	0.004

(1)	(2)
1775	0.004
1776	
1433/1	0.012
1433/2	0.036
1477	0.004
1434	0.016
1438/1 ख	0.036
1438/2	0.036
1468	0.008
1487/1	0.004
1487/2	0.020
1490	0.065
1489/1	0.032
1493/1	0.004
1495/2	0.045
1496/2	0.061
1498	0.069
1501/36	0.016
1502/1	0.053
1502/2	0.085
1502/3	
1474	0.036
1475	0.024
1476/1	0.028
1476/2	
1443/1	0.016
1445/2	0.016
1441	0.028
1501/42	0.008
809/1 क	0.085
810	
811	
1135/1	0.008
1135/2	0.008
1135/3	0.020
1136	0.045
1146	0.032
1147	0.008
1148/1	0.032
1143/2	0.036
1143/4	0.004
1228	0.069
1235/2	0.012

(1)	(2)
1235/1	0.008
1236/1, 2	0.049
1250	0.024
1252	0.057
1264	0.040
2568/2	0.069
2569/1	0.036
2569/3	0.036
2557/2	0.028
2558/2	0.008
2570/8	0.069
2555/3	0.016
2555/4	0.016
2555/5	0.012
2556/1	0.016
2531	0.077
2466	0.024
2467/1	0.024
2467/2	0.024
2468/1	0.008
2468/2	0.024
2468/3	0.028
2463, 2464	0.061
2415	0.036
2414	0.113
योग 207	8.084

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिर्रा डि. व्यू. के माइनर नं. 4 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 242/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम- रनपोटा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.580 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
255	0.032
269/1	0.020
264	0.089
267/2	0.012
267/4	0.004
456/2	0.012
267/3	0.045
250/2	0.109
268	0.138
253/2	0.020
258	0.101
253/5	0.024
256/1	0.073
206	0.024
207	0.016
208	0.024
253/1	0.040
253/3	0.069
253/4	0.024
265	0.00[illegible]
251	0.06[illegible]
250/1	0.012
249/9	0.004
800/2, 800/3, 800/2 क	0.081

(1)	(2)
801	0.073
220/1	0.101
220/2	
456/1	0.008
457/3	0.105
477/1	0.073
457/2	0.045
458/1	0.004
458/3	0.004
477/3	0.073
479	0.012
480/1	0.008
800/1	0.008
799/1	0.012
799/2	0.012
योग 38	1.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हसौद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 243/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम- नरियरा , प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.883 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकवा (हेक्टेयर में) (2)
326	0.146
305	0.109
81/1 ग	0.024
301/1	0.016
301/3	0.004
302	0.081
9/1	0.109
9/5	0.089
8/1	0.134
38	0.045
8/4	0.065
5/2	0.008
8/3 क	0.097
8/3 ख	0.101
4/2	0.008
15/1	0.049
15/2	0.012
16	0.069
17	0.101
18	0.093
31/1	0.089
31/2	0.089
32	0.239
36/1, 2	0.049
39/2	0.113
39/1	0.138
86/1	0.190
45/1	0.109
45/2	0.093
45/3	0.057
45/4	0.057
44/3	0.117
72	0.218
74	
75/1	0.012
77/1	0.045
76/2	
78/1	
96/2	0.069
97/2	

(1)	(2)
76/3 77/2 78/3	0.146
80	0.089
86	0.190
81/2 क	0.053
81/2 ख	0.065
98	0.069
99/1	0.008
100	0.016
101/1	0.073
337/2	0.061
96/1 97/1	0.069
योग 47	3.883

(2) सार्वजनि. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हसौद माइनर (हसौद वितरक नहर) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 245/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-दुरपा, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.523 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
981	0.081
317	0.016
318	0.004
250/3	0.133
321 322/1	0.008
250/9 253/2	0.265
247/13	0.105
247/4	0.154
247/1	0.194
247/6	0.036
247/7	0.040
241/6	0.097
247/9	0.073
241/3	0.085
241/1	0.045
241/7	0.073
237/15	0.057
237/14	0.057
योग 18	1.523

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—दुरपा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 248/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चाम्पा
(ग) नगर/ग्राम-परसापाली, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.727 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
97	0.045
94/1	0.065
94/2 99/2	0.073
92	0.032
91/2	0.053
89	0.057
84/1	0.016
88/2	0.049
85/2	0.016
121/2	0.032
123/1	0.016
123/2	0.053
48/1	0.028
124/1	0.077
124/2	0.069
125/3	0.024
129	0.053
130	0.061
131/1	0.036
131/2	0.012
135/1	0.073
134 136/1	0.045
136/2	0.073
137	0.117
138/2	0.073
207/1	0.040
207/2	0.028
208/2	0.008
210/3	0.121
210/4	0.036
210/1	0.036
226	0.081
225	0.032
232/2	0.061
233/1	0.036
योग	1.727

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—परसापाली माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 जून 2002

क्रमांक 249/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-डेरागढ़, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.652 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27/4	0.061
35 34	0.073
30/1	0.032
33/2	0.053
33/3	0.053

(1)	(2)
76	0.073
75/1	0.020
75/3	0.028
79	0.016
78/1	0.020
78/2	0.020
78/3	0.061
102	0.032
101	0.012
103/1	0.081
103/2	0.012
100	0.057
99	0.097
97/1	0.061
87	0.028
92	0.024
88/1	0.049
91/1	0.045
91/2	0.028
90	0.020
267	0.045
268/2	0.024
266	0.020
269	0.028
270	0.040
271	0.028
252/3	0.024
253	0.012
251/1	0.040
249	0.021
248	0.032
223	0.020
224	0.016
225	0.032
227/1	0.008
220/2	0.040
220/1	0.073
231/2	0.012
422	0.073
423	
425	
598	0.061
599	
607/2	0.073
584	0.040
601/2	0.028
601/1	0.101
602	0.040
614	0.121
608/2	0.036
573	0.105
570	0.016
571	0.053
572	0.057
565	0.077
788/1	0.049
788/2	0.032
789	0.085
805	0.053
807/1	0.028
812	0.053
814/2	0.040
814/3	0.028
814/5	0.016
814/4	0.016
816	0.036
901	0.040
903	0.065
902	0.040
904/3	0.053
893	0.045
888/1	0.069
891	0.057
890	0.008
870/1	0.036
870/7	
250	0.016
894	0.008
892	0.053
870/3	0.045
870/4	0.032
1558	0.097
योग 82	3.652

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भक्तु डेरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 440/सात-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-गुडसकला, प. ह. नं. 23

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.628 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
598	0.012
692/1	0.040
593	0.061
597/1	0.061
597/2	0.021
597/3	0.021
595/1	0.097
585/2	0.028
582/2	0.016
682	0.081
595/2	0.073
595/3	0.024
594/1	0.028
594/2	0.020
594/3	0.065
588/2	0.073
589	0.036
587	0.036
588/1	0.069
585	0.024
583	0.150
564/1	0.012
565/1	
566/1	
579	0.109
684	0.012
580/1	0.089
581	
578	0.093
685	0.004
678/1	0.073
692/2	0.032
683	0.040
690	0.008
677	0.113
691/1	0.097
691/2	0.004
861/1	0.028
861/2	0.129
860	0.117
862	0.004
889	0.004
874	0.004
584	0.109
693/1	0.049
1041	0.040
1040	0.032
1042/2	0.049
1042/3	0.081
861/3	0.040
योग 47	2.628

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुड्सकला माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 441/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-परसापाली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.280 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
454/1	0.020
457	0.024
459	0.020
480	0.016
458/2	0.020
458/3	0.040
462	0.012
120/3	0.097
120/6, 419/5	0.178
120/8, 419/10	0.085
419/1	0.097
419/9	0.049
693/1	0.081
693/2	0.040
690/3	0.065
690/2	0.036
685/2	0.024
686	0.040
687/1	0.024
687/2	0.024
688	0.040
689/2	0.020
667	0.069
677/2	0.069
715/1	0.040
668/5	0.008
668/6	0.020
668/8	0.016
668/7	0.024
668/10	0.016
668/9	0.012
691	0.032
670/1	0.020
669/2	0.105
718/4	0.053
718/5	0.089
718/2	0.109
1226/1, 1226/2	0.097
1265/1	0.053
1266/1, 1266/3, 1269/3	0.065
1225/2 ग/1	0.020
1227/3 क	0.057
1225/2 ग/2	0.040
1225/2 अ	0.061
1227/2 ख	0.032
1225/2 ग	0.024
1225/26/2	0.032
1225/26/9	0.012
1225/26/15	0.049
1225/26/7	0.012
योग 50	2.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—परसापाली माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 442/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सोंठी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	523	0.089
योग	1	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पुछेली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 443/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सोंठी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.744 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	124/40	0.214
	124/39	0.210
	149	0.320
योग	3	0.744

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सोंठी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 444 /सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-भोजपुर, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2324	0.040
योग	1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 445/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नरियरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.356 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1327	0.073
1326	0.024
1336/1	0.016
1324/3	0.004
1325	0.065
1337	0.097
1339/1	0.020
1339/2	0.057
योग 8	0.356

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मरघटी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 446/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन, अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-मिरौनी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.357 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1366/1	0.081
1369/1, 1369/2	0.073
1373/4	0.089
1373/1	0.057
1373/2	0.057
योग 5	0.357

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मरघटी माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 447/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-रनपोटा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
879/1	0.008
880/2	0.020
881	0.121
882	0.057
883	0.016
873/1 873/6	0.004
योग 6	0.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मरघटी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 448/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-नरियरा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.226 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
350	0.036
351	0.028
425/1	0.073
426/5	0.129
246/1	0.081
245	0.057
236/3	0.065
236/2	0.073
236/1	0.020
463	0.073
229/3	0.061
422/1	0.073
245/1	0.057
433	0.036
460/1	0.073
438	0.121
438/1	0.105
437	0.154
446	0.028
451/1	0.081
452	0.129
204/1	0.138
509/1	0.008
509/2 509/3	0.028
513/1 513/2	0.089
514/2	0.081
515/3	0.028
515/1 क	0.020
517/2 515/2	0.150
526/2	0.020
526/1	0.040
527/3	0.049
527/4	0.012
527/2	0.012
528/4	0.036
528/3	0.036
785	0.024
780	0.036
787/1, 2	0.020
786	0.032

(1)	(2)
784	0.012
829	0.036
831	0.020
830	
835/1	0.150
835/2	
838/5	0.077
836/1	0.053
837/1	
842	0.109
846	0.024
863/2	0.137
862	0.089
860/2	0.081
860/1	0.016
योग 52	3.226

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मरघटी सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 449/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-नरियरा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.350 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1307/2	0.194
1308/2	0.073
1308/1	0.109
1311/2	0.097
1312	0.008
1323	0.117
1324/2	0.008
1322/1 क	0.069
1327	0.081
1328/2	0.008
1329/1	0.073
1328/3	0.077
1330/1	0.016
1330/2	0.109
1331	0.049
1169	0.032
1332/1	0.008
1168	0.154
1328/1	0.040
1330/3	0.016
1332/2, 3	0.012
योग 21	1.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मरघटी सब डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 450/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-मालखरौदा
(ग) नगर/ग्राम-मरघटी, प. ह. नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.120 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153	0.004
154	0.004
161	0.259
.165	0.170
243	0.024
242	0.024
266/1	0.113
267/4	0.081
271/1	0.008
267/2	0.024
271/2	0.081
271/3	0.097
273	0.142
280/2	0.057
280/1	0.020
276/1	0.057
280/3	0.028
312	0.202
313/1	0.061
315	0.117
316/2	0.057
335	0.024
337	0.065
336	0.036
338	
307/2	0.085
316/1	0.089
937/4	
936/1	0.121
936/2	
937	
938	
940	0.202
886	0.154
879/10	0.061
870/4	0.097
867	
877	0.081
858	0.121
854	0.012
853	0.016
851/1	0.045
851/2	0.040
851/3	0.040
267/3	0.073
878	0.049
880/2	0.020
281/1	0.020
281/2	0.040
योग 43	3.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मरघटी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 451/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-मरघटी, प. ह. नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.908 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
145	0.113
144	0.040
124/1	0.061
124/2	0.061
123/1	0.040
123/3, 123/2	0.040
2	0.097
3	0.202
13/1	0.012
13/2	0.032
4/1	0.028
12/1	0.004
15/2	0.004
15/1	0.036
15/4	0.028
15/3	0.049
16/1	0.012
17	0.101
75	0.101
18/1	0.028
18/2	0.028
18/3	0.028
19	0.049
22/1	0.028
22/2	0.024
24	0.032
72	0.049
73	0.026
74	0.028
71	0.032
57	0.020
62	0.049
61	0.020
60	0.040
59	0.024
58	0.024
54	0.081
501	0.069
502	0.073
510	0.129

(1)	(2)
509	0.081
508	0.057
507/1	0.061
507/2	0.032
515	0.077
514/1	0.020
514/2	0.024
517/3	0.036
517/4	0.020
562/1	0.016
562/2	0.016
562/3	0.016
519/2	0.032
561	0.053
520/1, 521/2	0.040
560	0.032
1206	0.045
559	0.024
558	0.024
557/1	0.020
523/1	0.032
522/2	0.032
556/2	0.061
522/3	0.028
556/1	0.081
524	0.004
526/1, 526/2	0.081
योग 67	2.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मरघटी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 452/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-लखाली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.832 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
551/1	0.073
555	0.024
582/9	0.162
582/6	0.032
582/3, 5	0.227
579/13	0.073
579/12	0.036
579/15	0.036
579/11	0.085
551/2	0.008
554	0.040
553	0.036
योग	0.832

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टेल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 453/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-परसापाली, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.783 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
849/1	0.061
888	0.053
887	0.049
862	0.045
863	0.024
867	0.057
865	0.032
866	0.053
870/1	0.069
870/2	0.085
917/1	0.053
965/3	0.024
968/2	0.061
968/1	0.057
971	0.016
860	0.036
851	0.004
861	0.004
योग	0.783

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—टेल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 454/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीडीह, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1626/2	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बम्हनीडीह उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 455/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-भदरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	576/3	0.129
	568/8	0.012
योग	2	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बम्हनीडीह उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 456/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-बसंतपुर, प. ह. नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.246 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	305	0.020
	306	0.024
	307	0.016
	309	0.065
	311	
	310	0.121
योग	5	0.246

(2) सार्वजनिक प्रयोज़न जिसके लिए आवश्यकता है—किकिरदा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 457/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-गोविन्दा, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
871	0.101
872/1	0.113
870	0.097
865	0.020
862	0.016
864	0.016
751	0.012
426	0.036
727/2	0.016
826/1	0.024
467/2	0.040
835/1	0.032
814	0.304
829	
830	
831	
832	
833	
834	
835	
1030	0.008
1031	0.012
736	0.020
732	0.104
733	
734	
737	
738	
1639	
728/1	0.020
838	0.251
742	
743/2	
753/2	
744	0.105
753	0.012
755/1	0.016
752/2	0.032
468	0.024
485	0.028
759	0.008
758	0.032
752/1	0.032
760	0.032
761	0.121
762	
763	
768/2 ख	
467/1	0.040
484	0.020
755/2	0.016
464	0.049
448	0.016
462	0.008
456	0.012
455	0.016
453	0.024
454/1	0.045
454/2	0.045
452	0.020
411	0.121
योग 43	2.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोविन्दा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा, (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 458/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-गोविन्दा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.321 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1369/3	0.235
1370/2	0.097
1370/6	0.081
1370/1	0.101
1370/3	0.036
1370/5	0.049
1378/2	0.008
2377/1	0.040
1377/3	0.020
1377/7	0.032
1377/6	0.073
1377/9	0.049
1377/5	0.121
1624/1	0.049
1389/1	0.089
1398/3	0.105
1391/1	0.109
1398/4	0.016
1391/2	0.008
1399	0.065
1397	0.045
1571/2	0.040
1598/1	0.186
1571/4	0.045
1572	0.032
1570	0.105
1566/1	0.020
1569/3	0.036
1569/2	0.008
1576	0.028
1567/1	0.004
1592	0.045
1566/2	0.004
1593	0.045
1555	0.012
1554	0.138
1553	0.101
1598/2	0.020
1550/4	0.024
योग 39	2.321

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोविन्दा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 459/सा-1/सात .—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-करनौद, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
958/1	0.125

(1)	(2)
959	0.085
960	0.097
953	0.093
945	0.113
946	0.125
947/2	0.057
942/1	0.020
922/1	0.065
922/2	0.073
921/1	0.061
942/2	0.020
917	0.004
921/2 923/3 920/2	0.194
920/1 923/1	0.134
योग 15	1.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोविन्दा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जुलाई 2002

क्रमांक 460/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चाम्पा

(ग) नगर/ग्राम-कोनियापाट, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.198 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60	0.036
61/2	0.032
62/2	0.040
63/1	0.016
63/2	0.016
63/3	0.016
63/4	0.016
63/5	0.016
63/6	0.020
63/7	0.020
64/1	0.024
64/2	0.028
64/3	0.045
66	0.097
67	0.012
68/6	0.113
68/7	0.178
68/8	0.182
68/12 69/1 ख	0.191
योग 19	1.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदरा सत्र माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 अगस्त 2002

क्रमांक 2 /सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जांजगीर

(ग) नगर/ग्राम-बलौदा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.108 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1372/1	0.036
1372/2, 1372/3	0.036
1373/2	0.036
योग 3	0.108

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ठड़गाबहरा जलाशय के अंतर्गत बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. जी. के. पिल्लई, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक 769/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-सोमईकला, प. ह. नं. 22

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
17/20	0.02
17/21	0.05
17/22	0.04
1723	0.05
17/24	0.01
योग	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—झिपनिया जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक 770/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-साजा

(ग) नगर/ग्राम-रूसे, प. ह. नं. 36

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.65 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
01	0.65
योग	0.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गातापार जलाशय के अंतर्गत वेस्ट वियर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक 771/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-केहका, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.31 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
571	0.12
575	0.11
577	0.27
605	0.12
607	0.01
609	0.07
611	0.03
573	0.41
576	0.40
578	0.30
606	0.08
608	0.03
610	0.18
613	0.18
योग	2.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पिपरिया माइनर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक 772/प्र. 1/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-देवकर, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.04
38	0.06
40	0.14
44	0.03
42	0.01
37/2	0.20
39	0.13
41	0.09

(1)	(2)
45	0.03
43	0.06
योग	0.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नर्मदा व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 14 अगस्त 2002

क्रमांक 1394/ले.पाल.भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-परसाडीह, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-59.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
999	0.45
996	0.40
1322	0.45
1321/2	0.70
1255	0.24
1314	1.10
1319	0.70
1318	1.00
1315	1.42
1313/1	0.65
1312	1.15
1311	2.23
1309	0.50
1308	0.40
1307	0.53
1306	0.53
1303	0.55
1258	0.33
1001	0.80
1305	0.53
1302	0.80
1000	0.25
1304	0.68
1300	0.45
997	0.40
1299	1.75
1259	0.53
1360/1	0.68
1360/3	0.70
1365	0.60
1368	0.25
1366	0.75
1367	0.40
1278	0.60
1265/5	0.40
1260	0.45
1273	0.55
1274	1.15
1256	0.56
1257	0.28
1245/2	0.30
1229	0.75
1227/1	0.58
1225	0.94
1190	0.38
1313/2	1.05
1009	0.30
1007	0.68
1005	1.16
1350/1	0.82
1276	0.60
1245/1	2.70
995	0.20
1310	0.43
1297	1.10
1214	0.35
1293/2	0.70
1292	1.25
1291	2.30

(1)	(2)
1290	0.90
1282/1	2.05
1282/2	0.90
1281	1.08
1283	0.93
1321/1	0.50
1355	0.60
1356	0.38
1357	1.08
1359	0.35
1360/2	0.38
998/3	0.15
1008	0.10
1186	0.43
1362	0.98
1267	0.33
1293/1	0.68
1280	0.55
1272	0.50
1266	0.30
1271	0.55
1277/2	0.28
1277/1	0.25
1215	0.40
1361	0.95
1194/4	0.20
1296	0.50
योग	59.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—परसाडीह जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 3 अगस्त 2002

क्रमांक 1394/ले. पाल. भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भन्डेरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1439	1.08
योग	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—परसाडीह जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. पी. सी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.